



राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, पीपलदा
जिला-कोटा



* जाति प्रसाण-पत्र *

क्रमांक : RJ30/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/5120
07-2015

दिनांक 17-

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी मधुबाला मीना पुत्री जोधराज मीना गांव/नगर ग्राम खेडलीदेव पोस्ट लुहावट तह. पिपलटा ज़िला कोटा ज़िला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में मीना (9) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य भेद) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य भेद) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संघिया (संघोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, एजाब तुनार्थन अधिनियम 1966, लिंगाचन वरेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर प्रदीप भेद (प्रकाशन) अधिनियम, 1971 केर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संघोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जनसूचन कर्मसूची अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संघोधन)) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संघोधित संविधान (प्राइमार तथा फिकेटार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादा तथा चागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादा तथा चागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (लोडेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, लोकियान अनुसूचित जनजाति (उत्तर इडेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीवी) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीवी) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआरेस्ट) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी मधुबाला मीना गांव/नगर ग्राम खेडलीटेव पोस्ट लुहावद तह. पिपलदा जिला कोटा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

३०८

1. यहां प्रयोग साधारणतः नियासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
 2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ. 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यूटर/ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
 3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खालिक किया जा सकेगा।
 4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदूत अधिकारी नियसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कायात्रिय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
 5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
 6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार पिपलदा

Signature valid

Digitally signed by
RADHA KISHORE
NAGAR
Date: 20-Nov-17
11:14:08 IST
Reason: ACM
Location: Rajasthan

00384965

